फोन नं. 233670

सरस्वती (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय

हाथरस

विवरणिका

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त

प्रबन्ध समिति 2020-21

❖ श्री हरीशंकर वार्ष्णेय	अध्यक्ष
❖ श्री बिहारीलाल अग्रवाल	उपाध्यक्ष
❖ श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	मंत्री
❖ श्री गिर्राज किशोर	उपमंत्री
❖ श्री कमलेश कुमार बंसल	कोषाध्यक्ष
❖ श्री संजय कुमार वार्ष्णेय	सदस्य
❖ श्री रामअवतार	सदस्य
❖ श्री दयाशंकर बंसल	सदस्य
❖ श्री राजेश वार्ष्णेय	सदस्य
❖ श्री मुकेश कुमार	सदस्य
❖ श्री सुशील चतुर्वेदी	सदस्य
❖ डॉ. जगदीश	प्राचार्य
❖ डॉ. अतीत श्रीवास्तव	शिक्षक प्रतिनिधि
❖ डॉ. गायत्री कुमारी	शिक्षक प्रतिनिधि
❖ डॉ. स्वतेन्द्र सिंह	शिक्षक प्रतिनिधि
❖ श्री मनोज कुमार भारती	शिक्षणेत्तर कर्म. प्रतिनिधि

सरस्वती (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय

हाथरस – 204101

Website: www.sdcollegehathras.org
Email: sdcollege.hathras@gmail.com

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से
एम.एस–सी. स्तर तक सम्बद्ध

विवरणिका

2020–2021

कॉलेज का उद्देश्य

सरस्वती महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हाथरस की एकमात्र पुरानी संस्था है जो विज्ञान की उच्च शिक्षा प्रदान करती है । इस संस्था का उद्देश्य विज्ञान की उच्च शिक्षा के साथ–साथ छात्र–छात्राओं को मानसिक, शारीरिक तथा आत्मिक विकास की दृष्टि से शिक्षित करना है । यह संस्था पूर्णतः असाम्प्रदायिक एवं धर्म–निरपेक्ष है तथा इसके द्वार बिना किसी जाति, रंग, धर्म तथा लिंग भेद के समस्त ज्ञान पिपासुओं के लिए खुले हैं।

प्रवेश विवरणिका शुल्क : रु. 250.00

1. कॉलेज में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थी सर्वप्रथम निर्धारित मूल्य 250 रुपये देकर कार्यालय से विवरण पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं।
2. विवरण पुस्तिका के अन्त में आवेदन-पत्र संलग्न है। उसे सावधानीपूर्वक साफ-साफ भरें।

निम्नलिखित संलग्नक अवश्य भेजें :

(क) गत उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रतियाँ।

(ख) गत विद्यालय का चरित्र प्रमाण-पत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति (प्रवेश के समय)।

(घ) प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) की मूल प्रति (स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु)।

(च) आधार कार्ड की छाया प्रति।

कक्षाओं में कुल स्थान

बी.एस-सी. प्रथम वर्ष (कक्षाओं में स्थान) :

गणित समूह (फिजिकल)	दो सेक्शन
जीव विज्ञान (लाइफ)	एक सेक्शन

बी.एस-सी. द्वितीय वर्ष

गणित समूह (फिजिकल)	दो सेक्शन
जीव विज्ञान (लाइफ)	एक सेक्शन

बी.एस-सी. तृतीय वर्ष

गणित समूह (फिजिकल)	दो सेक्शन
जीव विज्ञान (लाइफ)	एक सेक्शन

एम.एस-सी. पूर्वार्द्ध

रसायन विज्ञान	एक सेक्शन

एम.एस-सी. उत्तरार्द्ध

रसायन विज्ञान	एक सेक्शन

विषय - बी.एस-सी.

1. **गणित समूह :** भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित तथा शारीरिक शिक्षा (कोई तीन)।
2. **जीव विज्ञान समूह :** जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा शारीरिक शिक्षा (कोई तीन)।

नोट-अनिवार्य विषय : विश्वविद्यालय की 2020-21 के सन्दर्भ में सूचनानुसार (राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण अध्ययन)।

डॉ. भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा

सत्र 2020-21

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबंधन, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग तथा विधि संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिनकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय व उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्राप्त है और उनका प्रावधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

सामान्य निर्देश

1(अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका ''प्रोस्पेक्ट्स'' तैयार करायेगा, जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2020-21 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में 21% स्थान अनुसूचित जातियों, 2% अनुसूचित जनजातियों, 27% स्थान पिछड़ी जातियों तथा 4% स्थान विकलांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) के अन्तर्गत ही) तथा 10% ई.डब्लू.एस. वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20% स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथामिकता दी जायेगी।

(स) सम्बन्धित महाविद्यालयों में विवरण पुस्तिका हेतु रुपये 250/- नकद, सत्र 2020-21 के लिए रखा जायेगा।

(द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रवेशोपरांत किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रतीक्षा सूची से प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है तो वह पूर्व में लिये गये प्रवेश को आवेदन देकर रद्द करा सकता है और दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश ले सकता है। इस परिस्थिति में उसे के वल 90% शुल्क ही वापस किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल आवासीय संस्थानों/अनुदानित महाविद्यालयों में ही लागू होगी।

2(अ) सत्र 2020-21 के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के ''त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम'' में ही प्रवेश दिये जायेंगे।

(ब) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 24 अगस्त, 2020 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल घोषित रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेंगे।

शासनादेश/विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन होने पर परिवर्तनीय होगा-

● महाविद्यालय खुलने की तिथि	शासनादेश के अनुसार/संभावित
● स्नातक प्रथम वर्ष में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि	: 25 जुलाई, 2020
● स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अंतिम तिथि	: 24 अगस्त, 2020
● स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि	: 01 सितम्बर, 2020
● स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष पंजीकरण/प्रवेश की अंतिम तिथि	: 01 सितम्बर, 2020
● स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि	: 03 सितम्बर, 2020

- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहे।

3.(अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुन: संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हो।

(स) यदि छात्र/छात्रा कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि, विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक हैं और उसकी अर्हता परीक्षा में दो वर्षों से अधिक का अंतराल है तो ऐसी दशा में प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह प्रवेश कर सकते हैं, परन्तु उन्हें छात्र/छात्रा से यह शपथ-पत्र लेना अनिवार्य होगा कि उन्हें-

- किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता का दोषी नहीं पाया गया है।
- किसी भी न्यायालय में नैतिक अपराध में दण्डित न हुआ हो।
- किसी भी अन्य पाठ्यक्रय में अध्ययनरत न हो।
- कहीं सेवारत न हो।

ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश में विभागाध्यक्ष/प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

(द) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।

4. नियमानुसार एल.एल.बी. 6 वर्ष, बी.ए. एल.एल.बी. 8 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 7 वर्ष, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 6 वर्ष परास्नातक अधिकतम 5 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे :-

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है :

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो ।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो ।

6.(अ) स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी—

1. बी.एस-सी. (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण ।
2. बी. एस-सी. (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट बायलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण ।
3. बी.एस-सी. (कृषि) के लिए कला को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

4. बी.ए./बी.कॉम. के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

5. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी ऐजूकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप मे मान्यता प्रदान की गई। कृपया ऐसे छात्रों का प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level alongwith revised scheme of studies)

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी.एस-सी. (कृषि)/बी.एस-सी. परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45% अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50% अंक होना अनिवार्य है किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 5% की छूट अनुमन्य होगी। उ.प्र. बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाइंट/मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिए मान्य होंगे।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे-

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 70% स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

(ii) शेष 30% स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 5% विदेशी छात्र/छात्रा भी सम्मिलित हैं, यदि उनके योग्यतांक ऊपर के क्रमांक (i) के अभ्यर्थियों से अधिक हो ।

(iii) शासनादेश संख्या जी.आई. 35/सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) क्रमांक-ii तथा क्रमांक-iii में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमांक-1 के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी ।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्तक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण

2. प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य - चक्रानुक्रमानुसार

3. एस.एन. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक

नोट : कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

(vi) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(vii) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंकों की गणना :

7. (क) स्नातक कक्षायें :

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50% अंक/ग्रेड दोनों

2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100% अंकों/ग्रेड अथवा दोनों

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों/ग्रेड का 50 प्रतिशत।

2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट : 1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री–यूनिवर्सिटी, प्री–इंजीनियरिंग, प्री–मेडीकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50% गणना के लिए, लिये जायेंगे।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हो, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें :

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए–

(अ) प्रथम विजेता होने के लिए — 5 अंक

(ब) द्वितीय विजेता के लिए — 4 अंक

(स) तृतीय विजेता के लिए — 3 अंक

(द) प्रतिभाग करने के लिए — 2 अंक

2. एन.सी.सी. ''सी'' सर्टीफिकेट / जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को — 8 अंक

अथवा

एन.सी.सी. ''बी'' सर्टीफिकेट / जी–1 उत्तीर्ण केडिटों को — 6 अंक

अथवा

एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घंटे कार्य किया व 2 कैम्पों में भाग लिया, किंतु कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है 3 अंक

3. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) — 5 अंक

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को — 5 अंक

5. बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 5 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हो।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में–

(अ) प्रथम विजेता होने पर — 8 अंक

(ब) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता के लिए — 7 अंक

(स) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता के लिए — 6 अंक

(द) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए — 3 अंक

2\. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में

(अ) प्रथम विजेता होने पर — 5 अंक

(ब) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता के लिए — 4 अंक

(स) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता के लिए — 3 अंक

(द) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए — 2 अंक

3\. एन.सी.सी. ''सी'' सर्टीफिकेट / जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को — 8 अंक

अथवा

एन.सी.सी. 'बी' सर्टीफिकेट / जी-1 प्रमाण-पत्रधारक कैडिटों को — 6 अंक

अथवा

एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240घंटे कार्य किया है,2 कैम्पों में भाग लिया है किंतु कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की — 3 अंक

4\. एन.एस.एस. में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए — 5 अंक

5\. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो — 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर्विश्वविद्यालय रैली में-

(अ) प्रथम विजेता होने पर — 5 अंक

(ब) द्वितीय विजेता के लिए — 4 अंक

(स) तृतीय विजेता के लिए — 3 अंक

(द) प्रतिभाग करने के लिए — 2 अंक

नोट : उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स रेंजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षायें :

1\. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ता, अनुबंधित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी /पुत्र /पुत्री — 17 अंक

2\. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नी, पुत्र/पुत्री (अविवाहित) — 10 अंक

3\. भारतीय सेना/पैरा मिलिट्री फोर्स/अर्द्धसैनिक बल (पुलिस/पी.ए.सी.) में कार्य करते हुए विजय के शहीदों पुत्र/पुत्री/विधवाओंको प्रवेश में — 17 अंक

टिप्पणी : 1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट :- 1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।

2. उपर्युक्त ''1'' से ''3'' तक के संदर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी के द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउंसिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/एन.सी.सी. अधिकारी/एन. एस.एस. अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5% स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थाई सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबंधित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा प्रमाण-पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(ब) सामान्यत: स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की माँग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय या प्रश्न-पत्र को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है या जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और बेवसाइट पर दी गई सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन "अपटू-डेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली-भाँति पढ़ लें । उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है । नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा ।

10. आवेदक यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

11. अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपने इंटर की परीक्षा यू.पी.बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो मूल निवास प्रमाण-पत्र भरने की बाध्यता नहीं है। किसी अन्य बोर्ड/प्रांत द्वारा इंटर परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में निवास प्रदर्शित किया हो तो प्रवेश प्रक्रिया के समय मूल निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

शुल्क सम्बन्धी अन्य नियम

1. यदि कोई छात्र/छात्रा (अनु. जाति एवं जनजाति सहित) सत्र के बीच में पढ़ाई छोड़ता है, तो इसकी सूचना कॉलेज को आवश्यक रूप से देनी होगी । छात्र/छात्रा से पूरे वर्ष का शुल्क लिया जायेगा ।

2. महाविद्यालय के विभिन्न छात्रों को अपना सभी प्रकार का शुल्क कॉलेज में उसी तिथि को जमा करना होगा जो कार्यालय द्वारा सूचनापट पर अंकित हो, अन्यथा प्रवेश से वंचित रहेंगे ।

3. विलम्ब शुल्क जमा करने के कारण अथवा पुस्तकालय में पुस्तकें न लौटाने या देर से लौटाने, अनुशासनहीनता के कारण जो दण्ड शुल्क लगाया जायेगा, वह किसी भी दशा में क्षम्य नहीं है । इस विषय में छात्र कोई आवेदन न करें ।

4. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रवेश-पत्र उसी अवस्था में दिया जायेगा जबकि विद्यार्थी महाविद्यालय के समस्त शुल्कों का भुगतान कर देगा व पुस्तकें तथा अन्य सामग्री महाविद्यालय को लौटा देगा ।

5. छात्र/छात्राओं द्वारा बंधक मुद्रा (काशनमनी) का अधिमोचन यदि 3 वर्ष तक नहीं किया गया है, वह धन कॉलेज हक में ले लिया जायेगा ।

एण्टी रैगिंग स्क्वैड

महाविद्यालय में रैगिंग प्रतिबन्धित है,
इस हेतु एण्टी रैगिंग स्क्वैड का गठन किया गया है।

विशिष्ट योजनाएँ

पुस्तकालय एवं वाचनालय

कालेज में नवीनतम पुस्तकों तथा पत्र–पत्रिकाओं के साथ पुस्तकालय एवम् वाचनालय की सुविधा छात्रों के लिए उपलब्ध है। यहाँ के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं–

(विस्तृत नियम पृथक से प्रसारित होते हैं)

1. प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय कार्ड पर ही पुस्तकें प्राप्त कर सकता है ।
2. पुस्तकालय से पुस्तकें केवल 15 दिन के लिए मिलेगी । इस अवधि में पुस्तक न लौटाने पर विलम्ब शुल्क लगेगा ।
3. पुस्तकालय कार्ड वर्ष के अन्त में पुस्तकालय को लौटाना अनिवार्य है ।

अनुशासन

कॉलेज की अनुशासन व्यवस्था देखने के लिए एक अनुशासन मण्डल है। कॉलेज के नियमों का उल्लंघन करके अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को आर्थिक दण्ड के अतिरिक्त कॉलेज से निष्कासित किया जा सकता है । अनुशासन सम्बन्धी मामलों में चीफ प्रौक्टर का निर्णय मान्य होगा ।

राष्ट्रीय सेवा योजना (डॉ. देवप्रकाश – राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी)

कॉलेज में एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) की एक इकाई है । इसके स्वयंसेवक पिछड़े वर्गों के मुहल्लों/गाँवों में जाकर प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करते हैं, मनोरंजन केन्द्र स्थापित करते हैं, प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराते हैं व समाज सुधार के लिए प्रयत्न करते हैं । वृक्षारोपण भी इनके कार्यक्रम के अंग हैं।

एन.सी.सी.

महाविद्यालय में एन.सी.सी. की एक प्लाटून है। इच्छुक अभ्यर्थी प्लाटून कमांडर ले. (डॉ.) स्वतेन्द्र सिंह से सम्पर्क कर सकते हैं।

चरित्र प्रमाण–पत्र **:** चरित्र सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का अधिकारी केवल वह छात्र है जो महाविद्यालय में न्यूनतम 6 माह की अवधि पूरी कर चुका है । 6 माह में केवल एक बार ही कोई छात्र चरित्र प्रमाण–पत्र ले सकता है । प्रार्थना–पत्र देने के 3 दिन के बाद चरित्र प्रमाण–पत्र कार्यालय से मिल सकेगा ।

छात्रवृत्तियाँ

भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त **:**

(अ) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति ।

(ब) पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति / सामान्य/अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति ।

(स) विकलांग छात्रवृत्ति (केवल डॉक्टरी प्रमाण–पत्र के आधार पर) ।

(द) भारत सरकार / उ.प्र. सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य छात्रवृत्ति ।

शिक्षक-वर्ग

	डॉ0 जगदीश	**प्राचार्य**	एम.ए., पी-एच.डी.
1.	डॉ0 अतीत श्रीवास्तव	**भौतिक-विज्ञान विभाग**	एम.एस-सी., पी-एच.डी.
2.	श्री आनन्द चक्रवर्ती		एम.एस-सी. (NET)
3.	रिक्त		
1.	डॉ0 गायत्री कुमारी	**रसायन-विज्ञान विभाग**	एम.एस-सी., एम.फिल.,पी-एच.डी.
2.	डॉ. देवप्रकाश		एम.एस-सी., पी-एच.डी.
3.	श्री आलोक कुमार		एम.एस-सी. (NET)
4.	रिक्त		
1.	डॉ0 मृदुल दीक्षित	**गणित विभाग**	एम.एस-सी., NET (JRF), पी-एच.डी.
2.	रिक्त		
1.	रिक्त	**जन्तु-विज्ञान विभाग**	
2.	रिक्त		
1.	रिक्त	**वनस्पति-विज्ञान विभाग**	
2.	रिक्त		
1.	ले. (डॉ.) स्वतेन्द्र सिंह	**शारीरिक शिक्षा विभाग**	एम.पी-एड., पी-एच.डी. (NET)
		कार्यालय	
1.	रिक्त	कार्यालय अध्यक्ष	
2.	श्री मनोज कुमार भारती	लेखाकार	बी.कॉम.
3.	श्री भानुप्रताप सिंह	आशु लिपिक	बी-एस.सी.
4.	रिक्त	नैतिक लिपिक	
		पुस्तकालय	
1.	रिक्त	पुस्तकालयाध्यक्ष	
2.	श्री आशीष कुमार अग्रवाल	पुस्तकालय लिपिक	बी.कॉम.
3.	श्री दिलीप कुमार यादव	पुस्तकालय लिपिक	बी.ए.
		प्रयोगशाला सहायक	
1.	श्री भोलेशंकर शर्मा	वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला	एम.ए.
2.	श्री रामवीर सिंह	जन्तु विज्ञान प्रयोगशाला	
3.	श्री मूलचन्द	रसायन विज्ञान प्रयोगशाला	
4.	श्री कुलदीप सिंह	रसायन विज्ञान प्रयोगशाला	
5.	श्री पवन कुमार पाठक	भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला	
6.	रिक्त		

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री प्रमोद कुमार शर्मा	7. श्री धर्मवीर सिंह	13. श्री रौबिल शर्मा
2. श्री रतन सिंह	8. श्री रनवीर सिंह	14. श्री धनपति सिंह
3. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	9. श्री रामगोपाल दीक्षित	15. रिक्त
4. श्री राकेश शर्मा	10. श्री सुरेश चन्द्र	16. रिक्त
5. श्री सुनील बैनवाल	11. श्री पवन कुमार	17. रिक्त
6. श्री राजेश	12. श्री मनोज कुमार शर्मा	18. रिक्त

आचार संहिता

1. छात्र कक्षा/प्रयोगशाला में नियमित रूप से ठीक समय पर उपस्थित होंगे तथा कक्षा/प्रयोगशाला छोड़कर इधर–उधर नहीं घूमेंगे ।
2. छात्र कॉलेज के मुख्य द्वार पर भीड़ नहीं लगायेंगे और कक्षा / प्रयोगशाला/ पुस्तकालय के आस–पास या बरामदों में एकत्र नहीं होंगे और न शोर करेंगे ।
3. छात्र, खाली समय में पुस्तकालय व वाचनालय का समुचित उपयोग कर सकेंगे।
4. छात्र साइकिल/स्कूटर/साईकिल स्टैण्ड पर साईकिल शुल्क रसीद दिखाकर ही खड़ा करेंगे । कॉलेज से अन्यत्र वाहन खड़ा करना दण्डनीय होगा।
5. छात्र/छात्राएं स्वच्छ, शिष्ट तथा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित वेषभूषा में ही कॉलेज आयेंगे।
6. छात्र धूम्रपान अथवा अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन की बुराईयों से सचेष्ट रहें। कॉलेज में नशीली वस्तुओं का सेवन करते पाये जाने पर समुचित दण्ड दिया जायेगा।
7. छात्र सबके साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे और किसी स्थान, परिस्थिति व वार्तालाप में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे और न आवेश में आकर मारपीट करेंगे।
8. छात्र कॉलेज का सूचना–पट प्रतिदिन देखें और तदनुसार आचरण करेंगे।
9. छात्र किसी भी दशा में कॉलेज की व्यवस्था भंग नहीं करेंगे और अपनी शिकायतों को निर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
10. छात्र न हड़ताल करेंगे और न हड़ताल में भाग लेंगे।
11. जाति–धर्म, भाषा, वर्ग, राजनीतिक दल, आस्था के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव प्रदर्शित नहीं करेंगे, वे मानवता व मानव प्रेम आधार पर ही व्यवहार करेंगे।
12. छात्र प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना कोई हैंडबिल आदि वितरित नहीं करेंगे और न कोई चंदा आदि एकत्र करेंगे ।
13. छात्र कॉलेज की दीवारों पर कुछ न लिखेंगे और न पोस्टर चिपकायेंगे।
14. छात्र अपने परिचय पत्र कॉलेज में हर समय अपने पास रखेंगे और किसी अधिकारी द्वारा मांगने पर उसे प्रस्तुत करेंगे ।
15. छात्र अन्य संस्थाओं के छात्रों अथवा अवांछित तत्वों को देखेंगे तो उसके बारे में तुरन्त आवश्यक सूचना चीफ प्रौक्टर को दें ।
16. खोई वस्तु पाने पर उसे अपने विवरण सहित चीफ प्रौक्टर के पास जमा करेंगे।
17. छात्र स्वतन्त्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोहों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे ।
18. छात्र कॉलेज की किसी सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे, न ही वे उद्यान से फल–फूल तोड़े या पेड़, पौधों को हानि पहुँचायें ।
19. छात्र साइंस लैब में किसी भी तोड़–फोड़ के प्रति सावधान रहेंगे ।
20. सभी छात्र तथा आगंतुक साईकिल में ताला लगाकर साईकिल स्टैण्ड पर ही रखेंगे । अन्यथा साईकिल की हानि के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे, तथा ऐसा न होने की स्थिति में उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही होगी ।
21. महाविद्यालय में मोबाइल फोन लाना प्रतिबंधित है ।

प्रवेशांक

फार्म नं॰

बैंक वाउचर नं॰

प्रवेश आवेदन पत्र सत्र 20 –20

सरस्वती (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, हाथरस

कार्यालय प्रयोग हेतु

पंजीकरण सं॰

रसीद बुक सं॰

दिनाँक ह॰ लिपिक

बेव रजिस्ट्रेशन नं. ....

हाईस्कूल 50%	इण्टरमीडिएट 100%	प्रवेश परीक्षा का %	स्नातक %	अति. अंक	कुल योग

प्रवेशार्थी स्वयं भरें

प्रवेशार्थी अपना नवीनतम फोटो चिपकाएँ

स्नातक कक्षा – B.Sc. ☐ I, ☐ II, ☐ III स्नातकोत्तर कक्षा – M.Sc. ☐ Prev. ☐ Final

☐ सामान्य ☐ आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग (EWS) ☐ अनु.जाति ☐ अनु.जनजाति

☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ विकलांग (संबंधित श्रेणी पर टिक करें)

प्रवेशार्थी का नाम श्री/कु./श्रीमती (हिन्दी में) ....

(अंग्रेजी Capital में) ....

पिता का नाम श्री ....

माता का नाम श्रीमती ....

प्रवेशार्थी की जन्म तिथि .... आधार सं. ....

(हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार)

संरक्षक का नाम .... छात्र/छात्रा से सम्बन्ध .... (यदि पिता जीवित नहीं हैं)

राष्ट्रीयता .... जाति .... उपजाति ....

पिता / संरक्षक का व्यवसाय .... वार्षिक आय ....

मोबाइल नं. .... ईमेल आई.डी.(विद्यार्थी की) ....

स्नातक स्तर पर विषय (प्रवेश विवरणिका के अनुसार)

गणित समूह (कोई तीन)

अनिवार्य विषय : ☐ भौतिक विज्ञान ☐ रसायन विज्ञान

वैकल्पिक विषय: ☐ गणित ☐ शारीरिक शिक्षा

जीव विज्ञान समूह (कोई तीन)

☐ जन्तु विज्ञान ☐ वनस्पति विज्ञान

☐ रसायन विज्ञान ☐ शारीरिक शिक्षा

स्नातकोत्तर स्तर पर विषय ....

गत शैक्षिक विवरण : (सभी प्रवेशार्थियों के लिये) as applicable

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	वर्ष	अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय नामांकन सं.	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी	विद्यालय का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय	विषय
हाईस्कूल									
इण्टरमीडिएट									
बी.एस-सी.(प्रथम वर्ष)									
बी.एस-सी.(द्वितीय वर्ष)									
बी.एस-सी.(तृतीय वर्ष)									
एम.एस-सी.(प्रथम वर्ष)									
अन्य									

छात्र / छात्रा का घोषणा–पत्र :

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विवरणिका को पूरी तरह से पढ़ लिया है तथा आवेदन–पत्र में दिया गया विवरण पूर्णतया सत्य है। मैं यह आश्वासन देता/देती हूँ कि अपने सम्पूर्ण अध्ययनकाल में महाविद्यालय में सच्चरित्र और सद्व्यवहार बनाये रखूंगा/रखूंगी तथा किसी भी असामाजिक एवं अवांछनीय कृत्य/रैंगिंग आदि में भाग नहीं लूंगा/लूंगी। यदि मैं महाविद्यालय के नियमों की अवज्ञा करूँ तो यथोचित दण्ड का भागी बनूँगा/बनूँगी।

अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर

स्थायी पता–

....

....

वि.खंड......................वार्ड सं.........थाना................

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर

स्थानीय पता :

....

....

वि.खंड......................वार्ड सं.........थाना................

मोबा. नं॰ (स्वयं का)

मोबा. नं॰ (स्वयं का)

ईमेल आईडी (स्वयं की)..

संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची (फोटोकॉपी संलग्न करें) : 1............................. 2............................. 3.............................

4............................. 5............................. 6............................. 7............................. 8....................

प्रवेशार्थी का प्रवेश – स्थायी / अस्थायी / स्वीकृत / अस्वीकृत

दिनांक –

....	....	....
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
सदस्य–प्रवेश समिति	संयोजक–प्रवेश समिति	प्राचार्य/कृते प्राचार्य

लेखा विभाग

प्रवेशार्थी से रुपया...शुल्क प्राप्त हुआ। रसीद संख्या......................................

दिनांक............................ कक्षा....................................... प्रवेशांक...

टिप्पणी :

1. आवेदन से पूर्व विवरणिका व आवेदन पत्र को अभ्यर्थी ध्यान से पढ़ें एवं सभी प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से अंकित करें।
2. छात्र/छात्रा जिस जाति अथवा वर्ग में आते हों, उस कॉलम को ध्यानपूर्वक अवश्य भरें। प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
3. किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन पत्र स्वत: निरस्त समझे जायेंगे।

सरस्वती (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, हाथरस

(सत्र : 20 - 20)

कक्षा सं. ....

कक्षा..................... I / II / III

नामांकन सं. ....

(केवल पूर्व विद्यार्थियों के लिए)

वर्ग : Math. / Bio

विद्यार्थी अपना नवीनतम फोटो चिपकाएँ

विद्यार्थी का नाम : ....

पिता का नाम : श्री ....

माता का नाम : श्रीमती ....

बेव रजिस्ट्रेशन नं. ....

रोल नं. :		प्राप्तांक	बोर्ड/वि.वि.
	हाईस्कूल	....	....
	इण्टरमीडिएट	....	....
	बी.एस-सी. I	....	....
	II	....	....
	III	....	....
	एम.एस-सी. I	....	....

फोन नं. (1)............................ 2............................

पता : ....

....

....

विषय : ....

....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

शुल्क अनुसूची

	बी.एस-सी. पार्ट I, II व III		एम.एस-सी.
	गणित वर्ग रु.	जीव वि. वर्ग रु.	पू. व उ. (रु.)
शिक्षण शुल्क	132.00	132.00	180.00
प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00
पंखा शुल्क	12.00	12.00	12.00
प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान शुल्क)	515.00	755.00	462.00
शीत एवं उष्ण शुल्क	24.00	24.00	24.00
पुस्तकालय शुल्क	35.00	35.00	87.50
अध्ययन कक्ष शुल्क	15.00	15.00	37.50
मंहगाई शुल्क	42.00	42.00	42.00
प्रासंगिक शुल्क (पुस्त.)	--	--	--
प्रासंगिक शुल्क (विज्ञान)	--	--	--
चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00	12.00
वार्षिकोत्सव शुल्क	10.00	10.00	10.00
पत्रिका शुल्क	15.00	15.00	15.00
परिचय पत्र शुल्क	8.00	8.00	8.00
छात्र कल्याण एवं प्रशासन शुल्क	12.00	12.00	12.00
छात्रा कल्याण एवं प्रशासन शुल्क	12.00	12.00	12.00
बन्धक मुद्रा	40.00	40.00	65.00
विकास शुल्क	30.00	30.00	30.00
नामांकन शुल्क (प्रथम वर्ष से)	300.00	300.00	0.00
रख-रखाव शुल्क	30.00	30.00	30.00
विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	1700.00	1700.00	2200.00
सांस्कृतिक कार्यक्रम	50.00	50.00	50.00
क्रीड़ा शुल्क	200.00	200.00	200.00
योग	3197.00	3437.00	3492.00

1. प्रवेश आवेदन-पत्र कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु 2.00 रु. देय होगा।
2. प्रवेश शुल्क निश्चित तिथि पर जमा न करने की स्थिति में प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
3. बी.एस-सी. पार्ट द्वितीय के छात्रों से यदि पूर्व प्रदत्त बंधक मुद्रा तथा नामांकन हो, तो नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. साईकिल शुल्क रु. 100/- एवं स्कूटी/मोटरसाईकिल शुल्क रु. 150/- देय होगा।
5. जो छात्र साईकिल लाते हैं और साईकिल शुल्क जमा नहीं करते हैं उन्हें प्रत्येक दिन 5.00 रुपये साईकिल स्टैण्ड शुल्क देना होगा।
6. यदि कोई अपना वाहन एवं साईकिल बिना लॉक किये खड़ा करता है, तो उसे रु. 200/- दण्ड शुल्क देना होगा तथा विद्यार्थी वाहन का स्वयं जिम्मेदार होगा।

5\. शुल्क उ.प्र. सरकार/वि.वि. के आदेशानुसार परिवर्तनीय होगा।

राष्ट्रीय गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे ।
भारत-भाग्य-विधाता ।।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा ।
द्राविड़, उत्कल, बंग ।।
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा ।
उच्छ्ल जलधि तरंग ।।
तव शुभ नामे जागे ।
तव शुभ आशिष मांगे ।।
गाहे तव जय गाथा ।
जन-गण-मंगल दायक जय हे ।
भारत भाग्य-विधाता ।।
जय हे जय हे जय हे ।
जय जय जय, जय हे ।।

वंदे मातरम्

वन्दे मातरम् ।
सुजलाम्, सुफलाम् मलयज शीतलाम् ।
शस्य श्यामलाम् । मातरम् ।
वन्दे मातरम् ।
शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम्
फुल्लु कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्
सुहासिनीम् । सुमधुर भाषणीम् ।
सुखदाम् । वरदाम् । मातरम् ।
वन्दे मातरम् । भारत माता की जय।